

:: कार्यालय निदेशक , माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ::

-: कार्यालय आदेश :-

निम्नांकित स्कूल व्याख्याता हिन्दी को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (श्री/श्रीमती/सुश्री)	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	श्री देवेन्द्र शर्मा, राउमावि हैलक-कुम्हार भरतपुर	कार्यालय निदेशक (उ०शि०) उत्तर प्रदेश, इलाहबाद का आदेश क्रमांक डिग्री अर्थ-1(आयोग)/1029-35 दिनांक-22.09.18 के द्वारा सहायक आचार्य हिन्दी के पद पर

विभाग छोड़ने के बाद वर्तमान धारित पद पर स्थाईरूप से कार्यरत होने के कारण इनका नियमानुसार दो वर्ष तक लियन रहेगा । साथ ही संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित न होने की स्थिति मे संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।



(नथमल डिडेल)

आईएस

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/कार्यमुक्ति/2018

दिनांक:- 11/01/2018

- 1.निदेशक, उ०शि०, उत्तर प्रदेश इलाहबाद ।
- 2.उप शासन सचिव सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3.अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
- 4.संयुक्त निदेशक प्रशासन, कार्यालय हाजा को वरिष्ठता अनुभाग में रिकॉर्ड अपडेशन हेतु।
- 5.संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा
- 6.संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा
- 7.संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 8.रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर